न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– पीयुष समारिया, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –100/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2022/123

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
तेजाराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी चाऊ तहसील नागौर जिला नागौर।		सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर, जिला नागौर।

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री भगवत खुड़ीवाल।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

निर्णय दिनांक 16-11-2022

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 28/2022 में पारित निर्णय दिनांक 24.02.2022 सरकार बनाम तेजाराम से असंतुष्ट होकर दिनांक 07.04.2022 को प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट की अपील ताबेउज़ मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने मियाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का चाऊ ने गलत तथ्यों के आधार पर मौजा चाऊ के खसरा नम्बर 316 रकबा 00.3856 हैक्टेयर किस्म भूमि गेर मुमकीन रास्ते पर अतिक्रमण संबंधी रिपोर्ट पेश की। जिस पर प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को तलब किया गया, किन्तु अपीलांट को उक्त प्रकरण से संबंधित कोई नोटिस नहीं मिला और न ही न्यायालय द्वारा अपीलांट की तामिल करवाने का प्रयास किया गया बल्कि अधिनस्थ न्यायालय की दिनांक 24.2.2022 की आदेशिका देखने से स्पष्ट हो जाता है कि, उक्त प्रकरण में अपीलांट की कोई तामिल नहीं हुई, इसके बावजूद उक्त अपर्याप्त तामिल को गलत व अवैधानिक तरिके से तामिल मानते हुये उसी दिन निर्णय जैर अपील पारित कर दिया जिसकी कोई जानकारी पूर्व में अपीलांट को नहीं थी, दिनांक 25.03.2022 को पटवारी हल्का ने अपीलांट के खेत में की गई तारबंदी व बाड़ को हटाने का कहा तब पटवारी हल्का से पुछने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुई तब तहसील कार्यालय नागौर जाकर दिनांक 25.3.2022 आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 31.3.2022 को नकलें प्राप्त हुई, इस प्रकार जानकारी के दिवस से उक्त अपील अन्दर मयाद सुमार की जाकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने उक्त अपील को, जानकारी के दिवस से अन्दर मयाद सुमार की जाकर अपील का मेरिट पर निस्तारण किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। राजपैरोकार ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुए मयाद प्रार्थना व अपील खारिज करने का निवेदन किया। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा मयाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की मेरिट पर सुनवाई की जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना उचित है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का चाऊ ने गलत तथ्यों के आधार पर मौजा चाऊ के खसरा नम्बर 316 रकबा 00.3856 हैक्टेयर किस्म भूमि गेर मुमकीन रास्ते पर अतिक्रमण संबंधित रिपोर्ट पेश की। जिस पर प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को तलब किया गया, किन्तु अपीलांट को उक्त प्रकरण से संबंधित

कलक्टर नागौर

कोई नोटिस नहीं मिला और न ही न्यायालय द्वारा अपीलांट की तामिल करवाने का प्रयास किया गया बल्कि अधिनस्थ न्यायालय की दिनांक 24.2.2022 की आदेशिका देखने से स्पष्ट हो जाता है कि, उक्त प्रकरण में अपीलांट की कोई तामिल नहीं हुई, इसके बावजूद उक्त अपर्याप्त तामिल को गलत व अवैधानिक तरिके से तामिल मानते हुये उसी दिन निर्णय जैर अपील पारित कर दिया जिसकी कोई जानकारी पूर्व में अपीलांट को नहीं थी, दिनांक 25.03.2022 को पटवारी हल्का ने अपीलांट के खेत में की गई तारबंदी व बाड़ को हटाने का कहा तब पटवारी हल्का से पुछने पर उक्त निर्णय की जानकारी होने पर दिनांक 25.3.2022 आवेदन पेश किया एवं दिनांक 31.3.2022 को नकलें प्राप्त होने पर उक्त निर्णय के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना ही व पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही विधि विरूद्ध आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो अपास्त होने योग्य है।

अपीलांट के विरूद्ध पटवारी हल्का चाऊ ने ग्राम चाऊ के गैर मुमकीन रास्ता खसरा नम्बर 316 अथवा उसके किसी भू–भाग पर अतिक्रमण की रिपोर्ट मिथ्या की है जबकि अपीलांट का उक्त रास्ते के किसी भू–भाग पर कभी कब्जा नहीं रहा और न ही वर्तमान में है। फिर भी अधिनस्थ न्यायलाय तहसीलदार, नागौर ने पटवारी हल्का चाऊ की अपीलांट की पीठ पीछे तैयार की गई एक तरफा रिपोर्ट के आधार पर उन्हें अतिक्रमी मानकर निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी व वाकीयाती भूल की है।

अपीलांट को जो नोटिस जारी करना बताया गया है उक्त नोटिस की पुष्ठ पर तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट है कि, आसामी घर पर नहीं मिला, आबाद मकान पर चस्पा किया, इस प्रकार जब अपीलांट को उक्त नोटिस कभी प्राप्त ही नहीं हुआ तथा उक्त नोटिस पर आबाद मकान पर चस्पा करने का भी कोई आदेश नहीं होने के बावजूद माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी में बिना पर्याप्त तामिल के ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया, इस प्रकार माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय व स्थापित विधि की अवहेलना करते हुये माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिया जो अवैध है।

पटवारी हल्का ने केवल मात्र गांव के कुछ शिकायती लोगों के बहकावे में आकर अतिक्रमण के संबंध में गलत एकतरफा मौका रिपोर्ट तैयार की है, क्योंकि, शिकायती सुरजनसिंह वगेराह के शिकायत पर तहसीलदार स्वंय द्वारा दिनांक 02.04.2019 को मौका देखा था जिसमें अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 308 के पास किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया था बल्कि खसरा नम्बर 307 एंव 305 में ग्रेवल सड़क का कार्य रूका हुआ था तथा खसरा नम्बर 308 के पास से ग्रेवल सड़क कभी की बन चुकी है तथा आज दिन भी रास्ता चालू हैं। इसके अलावा जब विवादित जायंगा के संबंध में जब पहले से ही सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है, तो ऐसी स्थिति में माननीय अधीनस्थ न्यायालय उसी विवादित बिन्दू को लेकर बराबर में दूसरी कार्यवाही नहीं कर सकते तथा न ही माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सभी दस्तावेज व जबाब पेश करने का अवसर दिया, क्योंकि, माननीय अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी नागौर तहसील के ही निवासी है तथा शिकायतकर्ताओं सुरजनसिंह, महेन्द्र पाल वगेराह के दबाव में आकर गलत रूप से उक्त आदेश जैर अपील पारित किया जो अपास्त किये जाने योग्य है।

महेन्द्रपाल व सुरजनसिंह के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण भी विचाराधीन है इस प्रकार से आपसी विवाद के कारण रास्ते के संबंध में झूठी शिकायते कर रहे हैं। जबकि अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार से किसी भी रास्ते की जायंगा पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। इसके अलावा माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने भी तुरत फुरत में शिकायतकर्ताओं के बहकावें में आकर बिना किसी प्रकार की साक्ष्य लिये सीधे ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है।

माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की अतिक्रमण के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं ली गई और ही पटवारी हल्का के बयान लिये गये, इसके बावजूद माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने सीधे ही निर्णय पारित करने में भारी कानूनी व वाकीयाती भूल की है।

कलक्टर नागौर

पटवारी हल्का ने जो कथित एकतरफा मौका रिपोर्ट तैयार की है उसमें अपीलांट के खेत के पास ठोट... ठोट से दर्शाई गई है। इसके अलावा इसमें किसी प्रकार का कोई नाप चोप नहीं दर्शाया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि, केवल मात्र खानापूर्ति करने के उद्देश्य से शिकायतकर्ताओं के प्रभाव में आकर गलत रूप से मौका रिपोर्ट तैयार की गई है जबकि पूर्व की तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट का रास्ते की जायंगा पर कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया तथा अपीलांट के खेत के पास नरेगा के तहत ग्रेवल सड़क का निर्माण भी किया जा चुका है जिसमें स्वयं शिकायतकर्ता भी नरेगा के मजदूर के तौर पर काम कर चुका है। इस प्रकार उपरोक्त सभी परिस्थितियों से यह स्पष्ट होता है कि, अपीलांट ने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं रखा है, माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से शिकायतकर्ताओं के प्रभाव में आकर आदेश जैर अपील पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा मानकर निर्णय जैर अपील पारित कर दिया जो गलत होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार, नागौर द्वारा मुकदमा नम्बर 28/2022 में पारित निर्णय दिनांक 24.02.2022 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

राजपैराकार ने बहस में कथन किया कि पटवारी चाउ द्वारा ग्राम सुराणा के खसरा नम्बर 316 रकबा 0.3856 किस्म गै.मु. रास्ते की भूमि पर अपीलान्ट द्वारा बाड़ व तारबन्दी कर नाजायज कब्जा करने की भू अभिलेख निरीक्षक जोधियासी से सत्यापित रिपोर्ट मय नक्शा प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण संख्या–28/2022 दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया, परन्तु अपीलान्ट हाजिर नहीं मिलने पर नोटिस आबाद मकान पर चस्पा किया गया, इसलिए अपीलान्ट यह नहीं कह सकता की उसे नोटिस की जानकारी नहीं थी।

तत्श्चात अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील विधिवत पारित किया गया है। प्रकरण में निर्णय जैर अपील की अनुपालना बाबत तहसील कार्यालय की टीम मौका स्थल पर पहूँची तब अपीलान्ट द्वारा टीम को माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 6427/2019 तेजाराम बनाम सुरजनसिंह आदेश दिनांक 25.01.2022 की छाया प्रति उपलब्ध कराई। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा संशोधित आदेश कमांक–1547 दिनांक 10.05.2022 से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए न्यायालय तहसीलदार नागौर के उक्त मुकदमा संख्या–28/22 निर्णय दिनांक 24.02.2022 की कियान्विति व आगामी कार्यवाही अन्य आदेश तक रोकी जाने का संशोधित आदेश पूर्व में जारी समस्त आदेशों के अतिकमण में जारी किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील दिनांक 24.02.2022 की कियान्विति व आगामी कार्यवाही पर तहसीलदार नागौर द्वारा संशोधित आदेश के द्वारा रोक लगाई जा चुकी है।

प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार नागौर से उक्त विवादग्रस्त रास्ते की भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट चाही गई है। जिसके संबंध में तहसीलदार नागौर द्वारा अपने पत्रांक–3222 दिनांक 04.10.2022 के साथ विवादग्रस्त रास्ते की भूमि के संबंध में स्वंय तथा भू–अभिलेख निरीक्षक जोधीयासी व पटवारी चाउ के साथ दिनांक 22.09.2022 को मौका देखकर फर्द मौका, ग्राम सुराणा का खसरा नक्शा एवं जमाबन्दी व मौके के फोटोग्राफ्स भिजवाये है। तहसीलदार नागौर की उक्त रिपोर्ट के अनुसार मौके पर खसरा नम्बर 308 के खातेदार तेजाराम अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 316 किस्म गै.मु. रास्ता की 0.3856 हैक्टयर भूमि पट्टियों के टुकड़े रोपकर, तारबंदी, बाड़ व कुछ भाग पर मूंग व ग्वार की फसल की काश्त कर अपने खेत में शामिल किया हुआ है, तथा मौके पर रास्ता दक्षिण की तरफ पड़ौसी खेतों में चलना बताया है। इस प्रकार तहसीलदार नागौर की उक्त रिपोर्ट, मौका फर्द, ग्राम सुराणा का खसरा नक्शा एवं जमाबन्दी व मौके के फोटोग्राफ्स से अपीलान्ट का अतिकमण साबित है।

अपीलान्ट का कथन कि सुरजनसिंह वगैराह के शिकायत पर तहसीलदार स्वंय द्वारा दिनांक 02.04.2019 को मौका देखा जिजसमें अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 308 के पास किसी प्रकार का

कलक्टर नागौर

कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में तत्समय अपीलान्ट का अतिक्रमण नहीं पाया गया, तो उक्त तथ्य के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि अपीलान्ट का वर्तमान में भी उक्त विवादगस्त रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। अपीलान्ट द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर स्वंय का अतिक्रमण नहीं होने बाबत कोई ठोस साक्ष्य हस्तगत अपील के माध्यम से प्रस्तुत नहीं करने का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि पटवारी चाउ द्वारा ग्राम सुराणा के खसरा नम्बर 316 रकबा 0.3856 किस्म गै.मु. रास्ते की भूमि पर अपीलान्ट द्वारा बाड़ व तारबन्दी कर नाजायज कब्जा करने की भू अभिलेख निरीक्षक से सत्यापित रिपोर्ट करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया, परन्तु अपीलान्ट हाजिर नहीं मिलने पर नोटिस आबाद मकान पर चस्पा किया गया, इसलिए अपीलान्ट यह नहीं कह सकता की उसे नोटिस की जानकारी नहीं थी। बल्कि अपीलान्ट जानबूझ कर अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील दिनांक 24.02.2022 पारित किया गया है, जो पूर्णतया सही है।

प्रकरण में न्यायालय हाजा तहसीलदार नागौर से उक्त विवादग्रस्त रास्ते की भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट चाही गई है। जिसके संबंध में तहसीलदार नागौर द्वारा अपने पत्रांक– 3222 दिनांक 04.10.2022 के साथ विवादग्रस्त रास्ते की भूमि के संबंध में स्वंय तथा भू–अभिलेख निरीक्षक जोधीयासी व पटवारी चाउ के साथ दिनांक 22.09.2022 को मौका देखकर फर्द मौका, ग्राम सुराणा का खसरा नक्शा एवं जमाबन्दी व मौके के फोटोग्राफ्स भिजवाये है। तहसीलदार नागौर की उक्त रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड के मुताबिक मौजा सुराणा के खसरा नम्बर 316 रकबा 0.5666 हैक्टयर भूमि किस्म गै0मु0 रास्ता राजकीय मिल्कियत की भूमि दर्ज है। मौके पर खसरा नम्बर 308 के खातेदार तेजाराम अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 316 किस्म गै.मु. रास्ता की 0.3856 हैक्टयर भूमि पट्टियों के टुकड़े रोपकर, तारबंदी, बाड़ व कुछ भाग पर मूंग व ग्वार की फसल की काश्त कर अपने खेत में शामिल किया हुआ है, तथा मौके पर रास्ता दक्षिण की तरफ पड़ौसी खेतों में चलना बताया है। इस प्रकार तहसीलदार नागौर की उक्त रिपोर्ट से अपीलान्ट का अतिक्रमण साबित है।

अपीलान्ट का कथन कि सुरजनसिंह वगैराह के शिकायत पर तहसीलदार स्वंय द्वारा दिनांक 02.04.2019 को मौका देखा जिजसमें अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 308 के पास किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में तत्समय अपीलान्ट का अतिक्रमण नहीं था, उक्त तथ्य के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि अपीलान्ट का वर्तमान में भी उक्त विवादगस्त रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। अपीलान्ट द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर स्वंय का अतिक्रमण नहीं होने बाबत कोई ठोस साक्ष्य हस्तगत अपील के माध्यम से प्रस्तुत नहीं करने का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नागौर में धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन की प्रति प्रस्तुत की है। उक्त आवेदन अनुसार अपीलान्ट ने ग्राम सुराणा (चाउ) के उसके खातेदारी कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 308 के दक्षिण में कटाणी रास्ता राजस्व नक्शे में गलत दिखाया जाना बताते हुए उस कटाणी रास्ता खसरा संख्या 316 को राजस्व नक्शे को दुरूस्त करते हुए मौके पर कटाण रास्ता खसरा संख्या 316 चल रहा है, मौके के अनुसार चल रहे कटाण रास्ता को राजस्व नक्शे में अंकन करने का आदेश पारित करने की इस्तदुआ की गई है। परन्तु इस आवेदन का निर्णय होकर राजस्व नक्शे के अपीलान्ट के अनुसार अंकन करने का ऐसा कोई आदेश/निर्णय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया है। धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर देने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि अपीलान्ट का उक्त विवादग्रस्त रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नहीं है।

उल्लेखनीय है कि प्रकरण में उक्त निर्णय जैर अपील की अनुपालना बाबत तहसील कार्यालय की टीम मौका स्थल पर पहूँची तब अपीलान्ट श्री तेजराम द्वारा टीम को माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 6427/2019 तेजाराम बनाम सुरजनसिंह

कलक्टर नागौर

आदेश दिनांक 25.01.2022 की छाया प्रति उपलब्ध कराई। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा संशोधित आदेश कमांक–राजस्व/2022/1547 दिनांक 10.05.2022 से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए न्यायालय तहसीलदार नागौर के उक्त मुकदमा संख्या–28/22 निर्णय दिनांक 24.02.2022 की कियान्विति व आगामी कार्यवाही अन्य आदेश तक रोकी जाने का संशोधित आदेश पूर्व में जारी समस्त आदेशों के अतिकमण में जारी किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील दिनांक 24.02.2022 की कियान्विति व आगामी कार्यवाही पर तहसीलदार नागौर द्वारा संशोधित आदेश के द्वारा रोक लगाई जा चुकी है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी चाउ द्वारा ग्राम सुराणा के खसरा नम्बर 316 रकबा 0.3856 किस्म गै.मु. रास्ते की भूमि पर अपीलान्ट द्वारा बाड़ व तारबन्दी कर नाजायज कब्जा करने की भू अभिलेख निरीक्षक जोधियासी से सत्यापित रिपोर्ट मय नक्शा प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण संख्या–28/2022 अन्तर्गत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया, परन्तु अपीलान्ट हाजिर नहीं मिलने पर नोटिस आबाद मकान पर चस्पा किया गया, इसलिए अपीलान्ट यह नहीं कह सकता की उसे नोटिस की जानकारी नहीं थी। तत्श्चात अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील दिनांक 24.02.2022 विधिवत पारित किया गया है।

प्रकरण में न्यायालय हाजा तहसीलदार नागौर से उक्त विवादग्रस्त रास्ते की भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट चाही गई है। जिसके संबंध में तहसीलदार नागौर द्वारा अपने पत्रांक–राजस्व/2022/3222 दिनांक 04.10.2022 के साथ विवादग्रस्त रास्ते की भूमि के संबंध में स्वंय तथा भू–अभिलेख निरीक्षक जोधीयासी व पटवारी चाउ के साथ दिनांक 22.09.2022 को मौका देखकर फर्द मौका, ग्राम सुराणा का खसरा नक्शा एवं जमाबन्दी व मौके के फोटोग्राफ्स भिजवाये है। तहसीलदार नागौर की उक्त रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड के मुताबिक मौजा सुराणा के खसरा नम्बर 316 रकबा 0.5666 हैक्टयर भूमि किस्म गै0मु0 रास्ता राजकीय मिल्कियत की भूमि दर्ज है। मौके पर खसरा नम्बर 308 के खातेदार तेजाराम अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 316 किस्म गै.मु. रास्ता की 0.3856 हैक्टयर भूमि पट्टियों के टुकड़े रोपकर, तारबंदी, बाड़ व कुछ भाग पर मूंग व ग्वार की फसल की काश्त कर अपने खेत में शामिल किया हुआ है, तथा मौके पर रास्ता दक्षिण की तरफ पड़ौसी खेतों में चलना बताया है। इस प्रकार तहसीलदार नागौर की उक्त रिपोर्ट, मौका फर्द, ग्राम सुराणा का खसरा नक्शा एवं जमाबन्दी व मौके के फोटोग्राफ्स से अपीलान्ट का अतिकमण साबित है।

अपीलान्ट का कथन कि सुरजनसिंह वगैराह के शिकायत पर तहसीलदार स्वंय द्वारा दिनांक 02.04.2019 को मौका देखा जिजसमें अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 308 के पास किसी प्रकार का कोई अतिकमण नहीं पाया गया। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में तत्समय अपीलान्ट का अतिकमण नहीं था, उक्त तथ्य के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि अपीलान्ट का वर्तमान में भी उक्त विवादगस्त रास्ते की भूमि पर अतिकमण नहीं है। अपीलान्ट द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर स्वंय का अतिकमण नहीं होने बाबत कोई ठोस साक्ष्य हस्तगत अपील के माध्यम से प्रस्तुत नहीं करने का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नागौर में धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन की प्रति प्रस्तुत की है। उक्त आवेदन अनुसार अपीलान्ट ने ग्राम सुराणा (चाउ) के उसके खातेदारी कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 308 के दक्षिण में कटाणी रास्ता राजस्व नक्शे में गलत दिखाया जाना बताते हुए उस कटाणी रास्ता खसरा संख्या 316 को राजस्व नक्शे को दुरूस्त करते हुए मौके पर कटाण रास्ता खसरा संख्या 316 चल रहा है, मौके के अनुसार चल रहे कटाण रास्ता को राजस्व नक्शे में अंकन करने का आदेश पारित करने की इस्तदुआ की गई है। परन्तु इस आवेदन का निर्णय होकर राजस्व नक्शे के अपीलान्ट के अनुसार अंकन करने का ऐसा कोई आदेश/निर्णय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया है। धारा 131, 136 भू

कलक्टर नागौर

राजस्व अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर देने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि अपीलान्ट का उक्त विवादग्रस्त रास्ते की भूमि पर अतिकमण नहीं है।

उल्लेखनीय है कि प्रकरण में उक्त निर्णय जैर अपील की अनुपालना बाबत तहसील कार्यालय की टीम मौका स्थल पर पहूँची तब अपीलान्ट श्री तेजराम द्वारा टीम को माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 6427/2019 तेजाराम बनाम सुरजनसिंह आदेश दिनांक 25.01.2022 की छाया प्रति उपलब्ध कराई। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा संशोधित आदेश कमांक–राजस्व/2022/1547 दिनांक 10.05.2022 से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए न्यायालय तहसीलदार नागौर के उक्त मुकदमा संख्या–28/22 निर्णय दिनांक 24.02.2022 की कियान्विति व आगामी कार्यवाही अन्य आदेश तक रोकी जाने का संशोधित आदेश पूर्व में जारी समस्त आदेशों के अतिकमण में जारी किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील दिनांक 24.02.2022 की कियान्विति व आगामी कार्यवाही पर तहसीलदार नागौर द्वारा संशोधित आदेश के द्वारा रोक लगाई जा चुकी है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील दिनांक 24.02.2022 की पुष्टि की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा संशोधित आदेश कमांक–राजस्व/2022/1547 दिनांक 10.05.2022 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर